भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4550
जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

ई-चालान

4550. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 167 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ई-पोर्टल के माध्यम से जारी ई-चालान के विरुद्ध जनता की अपील का समाधान करने अथवा शिकायतों के निवारण के संबंध में कोई सुविधाएं प्रदान की हैं;
(ख) यदि हां, तो शिकायतों के निवारण के लिए प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और यह कब से उपलब्ध कराई गई है;
(ग) शिकायतों अथवा अपील के निवारण के लिए किस प्राधिकारी को नामित किया गया है;
(घ) गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में कितनी शिकायतें अथवा अपीलें प्राप्त हुई हैं/उनका समाधान किया गया है/लंबित हैं; और
(ङ) क्या शिकायतकर्ता की सुविधा के लिए कोई ऑनलाइन सुनवाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136 (ए) राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों या राज्य के भीतर किसी भी शहरी नगर में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का प्रावधान करती है, जिसकी जनसंख्या सरकार द्वारा यथा निर्धारित सीमा तक हो।

तदनुसार, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य की राजमार्गों पर उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारों और दस लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों और देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शामिल शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए अगस्त 2021 में केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के तहत नियम 167ए प्रकाशित किया है।

सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालान की निगरानी और प्रवर्तन के लिए एक एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी आधारित वेब पोर्टल आधारित ई-चालान प्रणाली विकसित की है। पोर्टल पर डेटा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। ई-पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए ई-चालान के खिलाफ अपील या शिकायतों के निवारण का प्रावधान 14.04.2021 से पोर्टल पर उपलब्ध है। पोर्टल पर शिकायतों या अपील के निवारण के लिए नामित प्राधिकारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार का कार्यालय प्रमुख/जिला प्रशासन है, जिसके ई-चालान से प्राप्त राजस्व राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को जाता है।

ई-चालान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्राप्त/समाधान किए गए/लंबित शिकायतों या अपीलों की संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य	कुल प्राप्त शिकायतें	शिकायत का समाधान	शिकायत लंबित
गोवा	661	128	533
कर्नाटक	310	143	167
महाराष्ट्र	16082	1,141	14,941

*****